चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2002–03

# उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

## वित्तीय वर्ष 2002–2003
## वार्षिक रिपोर्ट

# उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2002–2003 की वार्षिक रिपोर्ट

## भूमिका

उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधार के उद्येश्य से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को केन्द्रीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2813–पी–1/98–24 द्वारा किया गया था। दिनांक 7 जुलाई 1999 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 द्वारा अधिसूचित किया गया एवं दिनांक 14 जनवरी 2000 से इस अधिनियम को लागू किये जाने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन पुनः घोषित किया गया।

गठन के पश्चात इस वित्तीय वर्ष में आयोग का यह चतुर्थ वर्ष है। गत वर्षों की भाँ ति आयोग सुधार अधिनियम के उद्येश्यों की प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम 1999 की धारा 44 ( 1) के अन्तर्गत आयोग प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देता है। इस रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित की जाती रही है। प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2002–03 में किये गये क्रिया कलापों का विवरण किया गया है।

## 1. आयोग सम्बन्धी विवरण

वित्तीय वर्ष 2002–03 में श्री जे0एल0 बजाज उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। श्री बजाज पिछले चार वर्षों से आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं। सदस्यों के रूप में श्री एस सी ढींगरा एवं श्री अरूण सरकार कार्यरत हैं। आयोग के सचिव के पद पर उक्त वित्तीय वर्ष में श्री आनन्द कुमार आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत रहे।

वित्तीय वर्ष 2002–03 में आयोग में सृजित अधीनस्थ पदों का विवरण इस प्रकार हैः

1. अधिकारी श्रेणी – 19 पद
2. कर्मचारी तृतीय श्रेणी – 24 पद
3. कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी – 12 पद

कुल – 55 पद

सचिव को सम्मिलित करते हुये इस वर्ष आयोग में कुल सृजित पदों की संख्या 56 रही जिसके सापेक्ष विभिन्न सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तथा आयोग द्वारा अनुबन्ध के माध्यम एवं सीधी भर्ती एवं एजन्सी के माध्यम से नियुक्त अधिकारी संवर्ग के 13, तृतीय श्रेणी के 14 तथा चतुर्थ श्रेणी के 11 कर्मचारी कार्यरत रहे। इस प्रकार सचिव के पद को सम्मिलित करते हुये वित्तीय वर्ष 2002–03 में आयोग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 39 रही।

2. <u>बजट एवं आय–व्यय :</u>

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 42 में निहित प्राविधानानुसार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित उद्येश्यों की पूर्ति हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है तथा इस प्रकार प्राप्त धनराशि को अधिनियम में अंकित कार्यो तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु व्यय करने का अधिकार आयोग को जैसा वह उचित समझे है। उक्त धारा में यह भी प्राविधान है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों पर होने वाला व्यय भारित होगा। आयोग तथा शासन के मध्य सहमति के आधार पर शासन द्वारा अपने वार्षिक आय–व्ययक ( बजट) में आयोग के निमित्त एक मुश्त धनराशि का प्राविधान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिये शासन द्वारा आयोग के लिये रू 3.85 करोड़ ( रू0 3,49,80,000.00 मतदेय तथा रू0 35,20,000.00 भारित मद में) का बजट

प्राविधान किया गया था। आयोग ने अपने पत्र दिनांक 19 मार्च 2003 द्वारा फीस एवं फाइन्स तथा अन्य विधिवत स्त्रोंतो से दिनांक 13.3.2003 तक प्राप्त कुल धनराशि रू0 4,30,17,865.00 शासन को समर्पित की थी। शासनादेश संख्या 234/प्रकोष्ठ दिनांक 27.11.2000 के अन्तर्गत शासन ने पत्र संख्या 927पी–1/2003–24/6626एस पी/95 टी सी दिनांक 31.3.2003 द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–03 में कुल रू0 3,85,00,000 ( रू 3,49,80,000.00 मतदेय तथा रू0 35,20,000.00 भारित) की धनराशि आयोग को स्वीकृत करते हुये अवशेष धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित करने का आदेश प्रदान किया था।

अनुमोदित आय व्यय लेखा के अनुसार आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में स्वीकृत अनुदान के विरूद्ध रू0 1,78,17,915 का व्यय हुआ। आयोग द्वारा अनुमोदित बेलेन्स शीट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2002–2003 की समाप्ति पर रू0 7,85,34,248.00 की धनराशि अवशेष थी जिसमें सुगम योजना के अन्तर्गत दिनांक 20.11.2002 को एक वर्ष की अवधि हेतु करायी गयी रू0 5.41 करोड़ की फिक्स्ड डिपाजिट भी सम्मिलित थी।

उपर्युक्त आय व्यय से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2002–2003 का वार्षिक लेखा जोखा उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 की धारा 43 की उपधारा ( 2) के अधीन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

3. <u>बगास ( रवोई) आधारित सहविद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा क्रय अनुबंध के प्रारूप का निर्धारण:</u>

उत्तर प्रदेश में गन्ने की रवोई से विद्युत उत्पादन हेतु 1400 मेगावाट की क्षमता विभिन्न चीनी मिलों के पास उपलब्ध है, जिसमें कुछ भाग ऐसे चीनी मिलों की अपनी आवश्यकता से अधिक है। रवोई से विद्युत उत्पादन के अनेक सामाजिक एवं वाणिज्यिक लाभ हैं तथा यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्त्रोत है।

आयोग द्वारा चीनी मिलों द्वारा रवोई से विद्युत उत्पादन की क्षमता विकसित करने से न केवल उनके द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु उदार दृष्टिकोण अपनाया है वहीं उनके द्वारा उत्पादित उनकी आवश्यकता से अधिक विद्युत की क्रय पावर कारपोरेशन द्वारा किये जाने हेतु वर्ष 2000–2001 में दिशा निर्देश निर्गत किये थे। इसी क्रम में चीनी उद्यमियों को उनके उत्पादित अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा की क्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय किये जाने के उद्येश्य से इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया को और भी अधिक उदार बनाते हुये आयोग द्वारा एक आदर्श क्रय अनुबंध का अनुमोदन विभिन्न चीनी उत्पादकों से परामर्श करने के उपरांत किया गया है।

4. <u>गैर परम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु दिशा निर्देश</u>

गैर परम्परागत स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से आयोग द्वारा ऐसे विकासकर्ताओं के स्तर पर आवश्यक मार्ग दर्शन हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किये हैं साथ ही इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिये विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया है। उनके द्वारा उत्पादित विद्युत का क्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाये इसके लिये विद्युत क्रय अनुबन्ध का प्रारूप भी संलग्न किया गया है जिससे ऐसे विकासकर्ताओं को उनके द्वारा गैर परम्परागत स्त्रोंतो से उत्पादित विद्युत की क्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अल्प समय में सम्पादित की जा सके।

5. <u>आयोग की बैठकें :</u>

वित्तीय वर्ष 2002–03 में आयोग की 13बैठकें आहुत की गयीं। इन बैठकों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी और विभिन्न निर्णय लिये गये। इन बैठकों में कैप्टिव जनरेशन, ऊर्जा क्रय अनुबन्ध ( पावर परचेज एग्रीमेंट) पर चर्चा एवं महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये। आयोग ने उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में ऊर्जा आडिट हेतु सलाहकारों का चयन किया। आई आई टी, कानपुर द्वारा की गयी ट्रासमिशन एवं वीलिंग चार्जिस पर दी गयी रिपोर्ट का भी अनुमोदन

किया। इस वर्ष में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के सेम्पल पन्द्रह वितरण खंडों एवं तीन स्टोर खंडो का आडिट सी ए जी के द्वारा अनुमोदित चाटर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाये। आयेाग ने विद्युत प्रणाली से प्रभावित विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं में सन्तोष की मात्रा जानने हेतु एक परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष में आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता का आलेख अनुमोदित किया एवं जुलाई 2002 में पंजियन किया गया।

6. <u>अनुज्ञप्तिधारियों के लिये फुटकर विद्युत दरों का निर्धारण :</u>

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 24 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के स्तर पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिये फुटकर विद्युत दरों के निर्धारण का कार्य आयोग को सौंपा गया है। इस कार्य को पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के उद्येश्य से आयोग द्वारा अधिसूचित कार्य संचालन विनियमावली में टैरिफ निर्धारण सम्बन्धी बिन्दु भी सम्मिलित किये गये हैं प्रदेश के तीन अनुज्ञप्तिधारियों मैसर्स यू0पी0पावर कारपोरेशन लिमिटेड ( यू0पी0पी0सी0एल0) मैसर्स नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड ( एन0पी0सी0एल0) तथा मैसर्स कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लिमिटेड ( केस्को) द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–03 के लिये विद्युत दरों के निर्धारण हेतु अपनी याचिकायें ( पिटीशन) आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2002–03 में प्रस्तुत की थी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत इन याचिकाओं में वांछित सूचनायें पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थी तथा आयोग के पर्याप्त प्रयासोपरान्त उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा जुलाई 24, 2002 में ए0आर0आर0 प्रस्तुत की गयी। आयोग ने अधिनियम के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता हेतु समाचार पत्रों में ए0आर0आर0 के प्रमुख बिन्दुओं को प्रकाशित कराया और इसका प्रचार पूरे प्रदेश में वेब साइट के माध्यम से किया गया। टैरिफ याचिकाओं के व्यापक प्रचारोपरांत उन पर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। साथ ही टैरिफ याचिकाओं के निस्तारण हेतु मैसर्स इकरा को

अधिनियम की धारा 8( 4) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत परामर्शदात्री के रूप में नियुक्त किया गया। उपभोक्ताओं से सीधी चर्चा के लिये लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा एवं आगरा में ( जनता की सुनवाई) पब्लिक हियरिंग की गयी। इस विषय पर विद्युत सलाहकार समिति से भी विचार विमर्श किया गया। टैरिफ निर्धारण विषय पर आयोग के विशेषज्ञों द्वारा एक कन्सलटेटिव पत्र भी तैयार किया गया जिसका विस्तृत वितरण समाचार पत्रों द्वारा किया गया एवं उपभोक्ताओं से इस पत्र पर उनके विचार मंगायें गये। सभी इच्छुक पक्षों को सुनने के उपरांत तथा वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये आयोग द्वारा अक्टूबर 22, 2002 में वित्तीय वर्ष 2002–03 में फुटकर टैरिफ हेतु आदेश पारित किया। इस आदेश में सिर्फ विद्युत दरों का निर्धारण ही नहीं वरन विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु एवं उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुये आयोग ने विस्तृत निर्देश निर्गत किये। विद्युत आदेश की मुख्य विशेषतायें निम्नवत हैं :

1. मीटर किराया को बिल के अतिरिक्त लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
2. मीटर विहीन उपभोक्ताओं को मीटर लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये दर को तय किया गया।
3. खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिल की व्यवस्था में बदलाव लाया गया।
4. बिलिंग व्यवस्था में पर्याप्त दक्षता न होने के कारण एक फिक्सिड प्रोविजिनल बिल की व्यवस्था की गयी।
5. विद्युत दरों को पुनः सन्तुलित करते हुये फिक्सिड एवं एनर्जी चार्जिज में परिवर्तन किया गया।
6. हाई लोड फैक्टर रिबेट को एच वी 2 एवं एल एम वी 6 को बढ़ाया गया।

विद्युत दरों में संशोधन के साथ साथ आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को विभिन्न निदेश भी पारित किये गये जिसका उल्लेख टैरिफ आदेश में किया गया है। इसका मूल उद्येश्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की कार्यशैली को विकसित करना एवं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना है।

7. पिछले 4 वर्षो से विद्युत नियामक आयोग बिजली उद्योग में सुधार लाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। इस दिशा में आयोग विभिन्न तरह के अध्ययन समय समय पर कराता रहा है। अभी तक आयोग ने देश में ख्याति प्राप्त सलाहकारों की मदद से निम्नांकित अध्ययन कराये हैं एवं आगे आने वाले समय के लिये कराने की अनुमति प्रदान की हैः

( क) आयोग की स्थापनोपरांत प्रथम वर्ष में टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिये आयोग ने देश के ख्याति प्राप्त सलाहकार एडमिनिस्ट्र`टिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया को टैरिफ निर्धारण के लिये उपयुक्त नियमों को एवं ऐसे प्रपत्र जिन पर लाइसेंसी द्वारा सूचना लेनी थी को तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

इस अध्ययन का उद्येश्य सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु अच्छी प्रकार की बिजली समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये एक रेगुलेटरी ढाँचे एवं उपयुक्त प्रणाली जो रिटेल टैरिफ के विधिक प्राविधानों के अनुरूप हों को तैयार करना था।

सलाहकार द्वारा आयेाग को निम्न कार्यों में सहायता दी गयी :

1. रैगुलेटरी ढाँचा एवं उपयुक्त प्रणाली जो रिटेल टैरिफ के विधिक प्राविधानों के अनुरूप हों का सृजन जिससे कि बिजली की आपूर्ति एवं खपत की आर्थिक योग्यता को बढ़ावा मिल सके।

2. रिटेल टैरिफ के विभिन्न विकल्पों के आधार पर विभिन्न प्रकार के द्रष्टिकोण एवं प्रणालियों को परिभाषित/संस्तुति करना।

3. मूल्य एवं सेवा की लागत के आधार पर टैरिफ का विश्लेषण।

4. यू पी एस ई बी ( पावर कारपोरेशन) के वर्तमान ढाँ चे का पुर्नमुल्यांकन तथा विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को राज्य सहायता दिये जाने के दायरे का अंकन।

5. सब्सीडी के स्वरूप के सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यवहारिक संस्तुति।

6. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जानेवाली सूचना को चिन्हित किया जाना तथा आयोग के समक्ष टैरिफ के लिये प्रस्तुत की जानेवाली सूचनाओं हेतु प्रपत्रों को विकसित किया जाना।

( ख) विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त एवं अनुबंधित मैसर्स मरकाडोज एनर्जीटिकोज सलाहकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण प्रणाली में विभिन्न टैरिफ के प्रयोगों का अध्ययन किया गया। विश्वस्तरीय अनुभवी संस्था ने लाइसेंसी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश में वर्तमान नियमों, सरकारी नीतियों एवं आयोग के उद्येश्यों को ध्यान में रखते हुये एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसकी प्रतियाँ सरकार एवं लाइसेंसी को प्रेषित की गयी हैं।

इस रिपोर्ट में सलाहकार ने विश्लेषण एवं समीक्षा के उपरांत उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण क्षेत्र में बहुवर्षीय टैरिफ प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्न है:

- उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था की वर्तमान दशा के प्रासंगिक विषय तथा इसमें व्याप्त अति महत्वपूर्ण कुव्यवस्था और उससे सम्बन्धित सुधार की आवश्यकतायें वर्णित हैं।

- उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण हेतु बहुवर्षीय टैरिफ प्रणाली की रूपरेखा तथा उसके क्रियान्वयन के लिये वर्तमान दशाओं में लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लेख किया गया है।

- इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण प्रणाली के सन्दर्भ में विभिन्न देशों में प्रचलित टैरिफ प्रणाली एवं रैगुलेटरी फ्रेम कार्य का उल्लेख किया गया है।

- इस रिपोर्ट में बहुवर्षीय टैरिफ प्रणाली का निर्माण एवं उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण ढाँचे में सफल क्रियान्वयन हेतु सम्भावित प्रयोगों का वर्णन किया गया है।

(ग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा अनुमानित उत्तर प्रदेश में लगभग साढ़े सात लाख प्राइवेट टयूबवेल्स पम्प चल रहे हैं। चूंकि सभी पम्प मीटर के बिना चल रहे हैं और बिजली की खपत अनुमानित की जाती रही है अतः आयोग ने अपने स्तर पर ऐसे पम्पों की संख्या जानने के लिये जो पिछले एक वर्ष से ज्यादा प्रयोग में नहीं थे एक अध्ययन कराया। यह अध्ययन मैसर्स मौट मैक्डोनाल्ड को सौंपा गया जिसमें निम्न बिंदुओं पर कार्य करना था :

- यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के पाँच जिलों मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रायबरेली तथा आजमगढ़ में किया गया।

- प्रत्येक जिले में आकस्मिक नमूने के तौर पर कम से कम 200 पी टी डब्ल्यू का चयन किया गया।

- इस अध्ययन में फील्ड सर्वेक्षण द्वारा यह पता कराया गया कि इनमें से कितने पम्प कार्यशील हैं अथवा कितने कार्यरत नहीं हैं।

- यू पी पावर कारपोरेशन तथा फील्ड सर्वेक्षण के द्वारा एकत्रित डाटा के आधार पर सलाहकार ने अपना अनुमान दिया कि कितने प्रतिशत पी टी डबलयूज सम्बन्धित जिले में कार्यरत नहीं हैं ।

- इस अध्ययन से नमूने के आधार पर लगभग 6% टयूबवैल्स कार्यरत नहीं पाये गये। इसमें लगभग 25% पम्प ऐसे थे जो 6 माह से कम कार्यरत नहीं थे एवं 25% पम्प ऐसे थे जो दो वर्ष से ऊपर नहीं चल रहे थे। इस अध्ययन से यह भी पता चला कि कुछ पम्पों की मोटरें अनुमन्य भार से अधिक प्रयोग में थीं। परन्तु इसके साथ ही कुछ पम्प ऐसे थे जो कि अनुमन्य भार से कम प्रयोग में थें। उपभोक्ताओं के साथ सलाहकार के

साक्षात्कार से पम्प के न चलने के विभिन्न कारण ज्ञात हुये जिनमें मुख्यतः इरेटिक पावर सप्लाई, मोटर के जलने के कारण एवं उपभोक्ताओं की आर्थिक कठिनाई थी।

( घ) पिछले वर्ष आयोग ने उ0प्र0 कारपोरेशन के अधीनस्थ क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा राजस्व सम्बन्धी आँकड़ो की समीक्षा करायी थी जिसमें नोएडा क्षेत्र के तीन खंडों एवं गाजियाबाद के दो खंडों के अभिलेखों की जाँच बाहरी परामर्शदात्री फर्म के माध्यम से करायी थी। इस अध्ययन के माध्यम से राजस्व सम्बन्धी आँकड़ों में एवं विद्युत हानियों को कम दर्शाने हेतु ऊर्जा खपत के आँकड़ों में अन्तर पाया गया। इस वर्ष भी आयोग ने पावर कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित चाटर्ड एकाउन्टेन्टस ( जो कि सी0ए0जी0 द्वारा भी अनुमोदित हैं) से 15 खंडों का लेखा परीक्षण कराया। इस परीक्षण में निम्नांकि कार्य कराये गयेः

- आडिट इस उद्येश्य से कराया गया कि यह मासिक लेखों का निर्धारण ट्र ायल बैलेंस के अनुरूप किया गया है।
- निर्धारित लेजर्स तथा सबलेजर्स का रख रखाव ।
- बैंक खातों तथा आंतरिक यूनिटों में लेनदेन का मिलान।
- अग्राह्य चैकों की प्रविष्टियों का समायोजन।
- फिक्सिड ऐसटों के रजिस्टरों का रख रखाव।
- क्रय एवं भण्डारण से सम्बन्धित प्रणालियों एवं उनका प्रयोग का पालन सुनिश्चित करना।
- स्टोर भण्डार लेजरों एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव।
- एडवाइस प्रणाली एवं सामग्री के निर्गमन का रख रखाव
- भण्डारों के भौतिक सत्यापन की स्थिति

- भण्डारों में कमी साथ ही साथ निष्प्रयोज्य भण्डारन के सम्बन्धन में की गयी कार्यवाही।
- भुगतान प्रक्रिया के मानकों का पालन।
- राजस्व खाते से भुगतान खाते में डाली गयी धनराशि की पहचान
- चैक्स के निर्गमन की तिथि और उनको दिये जाने का ब्यौरा।
- पूँ जीगत व्ययों के विरूद्ध उपयोग प्रमाण पत्र का प्रस्तुति करना।
- बिलिंग ऐजेण्ट के डाटा का सी एस–3, सी एस–4 से अनुरूपता
- दोषी उपभोक्ता एवं कटे हुये कनेक्शनों की स्थिति का मूल्यांकन।
- वसूली प्रमाण पत्र का जारी करना एवं उसके अनुश्रवण की स्थिति
- बकाया बिलों का संशोधन तथा बिलिंग अभिलेख को अध्यावधि करना।

( ड.) आयोग ने यू पी पी सी एल के आपूर्ति क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का कार्य मैसर्स ओ आर जी मार्ग रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा। इस अध्ययन का मुख्य उद्येश्य इस बात का अनुमान लगाना था कि यू पी पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं से उपभोक्ता कहाँ तक संतुष्ट है। इस उद्येश्य के लिये सेवाओं का तात्पर्य विद्युत कनैक्शन प्राप्त करना, विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता तथा गुणवत्ता, बिल जारी करने की प्रक्रिया, जन सुरक्षा, कर्मचारियों का व्यवहार तथा प्रशासनिक प्रणाली आदि से था।

- यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के पाँ च जिलों मेरठ, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद तथा इलाहाबाद में किया गया।
- प्रत्येक जिले में आकस्मिक रूप से कम से कम 500 उपभोक्ताओं का चयन किया गया जिसमें से 80 से 100 ग्रामीण उपभोक्ता, 200 शहरी घरेलू

उपभोक्ता और बाकी में निम्न एवं मध्यम वोल्टेज वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से था।

- यह जानने के लिये कि कनैक्शन प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा की अवधि, आवेदन पत्र की सरलता, विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के समय व्यवधान की विविधता, वोल्टेज के घटने बढ़ने की स्थिति, मीटर रीडिंग की स्थिति, मीटर बदलने में विलंब, बिलों की सत्यता, बिलों का देना, बिल के विपरीत भुगतान प्राप्त करना, दोषों तथा उनके सुधार तथा रख रखाव के सम्बन्ध में ध्यान देने की शीघ्रता, जन सुरक्षा के मापदंडों का लागू करना, प्रशासनिक प्रणालियों की उपयोगिता, पत्राचार की स्थिति, उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, अधिकारियों कर्मचारियों की उपलब्धता एवं व्यवहार का सर्वेक्षण करना था।

- सर्वेक्षण के आधार पर एकत्रित उदगारों से सलाहकार ने अपना मत व्यक्त किया जिसकी अन्तिम रिर्पोट दी जानी है।

9. <u>विद्युत आपूर्ति संहिता का निर्धारण</u>

इस वर्ष आयोग ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रि सिटी रिफार्मस एक्ट 1999 में नीहित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में विद्युत आपूर्ति संहिता के लागू होने का आदेश पारित किया। यह संहिता सभी अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू हो गयीं हैं। इस प्रपत्र का आलेख लाइसेंसियों द्वारा दिया गया था जिस पर आयोग ने विभिन्न स्टेक होल्डरों से विचारविमर्श करने के पश्चात अनुमोदित किया। इस कोड के द्वारा नये विद्युत कनैक्शन का लेना, विद्युत लोड का बढ़ाया/घटाया जाना बिल देने की प्रक्रिया, उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रक्रिया इत्यादि का उल्लेख किया गया है। आयोग समय समय पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये नये कनैक्शन लेने, बिल देने सम्बन्धी सूचना इत्यादि के विवरण

प्रकाशित करता रहा है। विद्युत आपूर्ति संहिता की प्रति संलग्नक 2 में संलग्न है।

10. <u>आयोग में दी गयी पैटीशनों के निवारण सम्बन्धी विवरण:</u>

इस वर्ष आयोग में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 110 पैटीशन्स दाखिल की गयीं। आयोग ने सभी पैटीशन्स पर अनुज्ञप्तिधारियों से विस्तृत सूचना माँ गी एवं उपभोक्ता/लाइसेंसी को अवसर देने हेतु समय समय पर सुनवाई की गयी। इस वर्ष आयोग ने 84 पैटीशन्स पर अपने निर्णयों को दिया।